

2.10(b)

परियोजना का नामः— जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत गोगिना से कीमू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण की निरीक्षण टिप्पणी रिपोर्ट एवं उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत गोगिना से कीमू मोटर मार्ग के निर्माण लम्बाई 7.00 किमी0 प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में ग्राम कीमू एवं गोगिना की 1.050 है0 सिविल भूमि, वन पंचायत 1.400 है0 कुल 2.450 है0 भूमि निर्माण कार्य एवं मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित है। इस क्षेत्रफल के दुगने अवनत सिविल भूमि पर ग्राम बदियाकोट के श्रेणी 9(3)ख इमारती लकड़ी के वन मध्ये 4.900 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 9(3)ख में भूमि दर्ज है। जो पटवारी क्षेत्र—बदियाकोट, तहसील—कपकोट, जिला—बागेश्वर के नियंत्राणाधीन है।

शासनादेश संख्या 883(i)/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 के पश्चात शासनादेश संख्या 2882 viii(2)/11-18 (120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के निर्देशानुसार प्रस्तावित उक्त सिविल सोयम भूमि जिसका परीक्षण राजस्व उप निरीक्षक बदियाकोट द्वारा दिनांक 06.08.2015 को किया जा चुका है मौके पर प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इस भूमि पर किसी भी प्रकार के इमारती आदि के वन नहीं है तथा वन स्वरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त सिविल सोयम भूमि वन स्वरूप न होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपुक्त है।

